सं0–5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017–798

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

25 मार्च 2017

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 11 वीं एवं 12 वीं वर्ग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छात्रवृति भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2– इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के, वैसे छात्र/छात्राएँ, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रू0) तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3– वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षो की बकाया छात्रवृति की राशि के भुगतान तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत आगामी वर्षो में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

4– अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के अंदर एवं बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार निर्णय लिया गया है कि "**वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 11 वीं एवं 12 वीं वर्ग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छात्रवृति की राशि स्वीकृत की जाएगी।**"

5– उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृति की राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.3.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017- 798 पटना, दिनांक– 25.03.2017

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक– 25.03.2017

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017- 798 पटना, दिनांक– 25.03.2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017 – 798 पटना, दिनांक– 25.03.2017

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक– 25.03.2017

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक– 25.03.17

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।